

## अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक—वा०क०अधि०/पू०पी०ग०) / 19, लखनऊ :: दिनांक : ०१ : मई—2019,

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक—709/19 द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम गाजियाबाद में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित द्वितीय अपील संख्या—409/16 सर्वश्री शेफा इंजीनियर्स प्रा०लि० डी—07, साइट—4, इंड० एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद तथा द्वितीय अपील संख्या—410/16 प्रवेश कर सर्वश्री सी०एन०बी०इंजीनियरिंग, प्रा०लि०, डी—29, साइट—4, इंड० एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 03.05.2019 व 04.05.2019 के लिए श्री आलोक कुमार त्रिवेदी, एच० जे० एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—बरेली, श्री अरुण कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—2, गाजियाबाद तथा श्री इन्द्र कुमार मिश्र, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—मुरादाबाद को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद में पूर्ण पीठ गठित की गयी थी।

प्रभारी सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम गाजियाबाद द्वारा पत्रांक—182/19 दिनांक 30.04.19 द्वारा यह सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता फर्म की ओर से उनके अधिवक्ता श्री अजय टंडन द्वारा दिनांक 30.04.19 को पीठ कार्यालय में स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत वादों की सुनवाई हेतु स्वयं की अस्वस्थता के कारण उपस्थित होने में असमर्थत व्यक्त करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें डाक्टर द्वारा 10 दिवस के आराम की सलाह दी गयी है। इस आधार पर प्रश्नगत वादों को स्थगित कर दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः प्रभारी सदस्य पीठ प्रथम, गाजियाबाद द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 03.05.19 व 04.05.19 के स्थान पर किन्हीं अन्य तिथियों में पूर्ण पीठ गठित कर दी जाये।

प्रभारी सदस्य पीठ—प्रथम, गाजियाबाद द्वारा किये गये निवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त गठित पूर्ण पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लिखित वादों के निस्तारण हेतु 03.05.19 व 04.05.19 के स्थान पर “दिनांक 27.05.19 व 28.05.19” के लिए गाजियाबाद में पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

पूर्ण पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी। तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह०—०१.०५.१९  
( प्रेम कला सिंह )

एच०जे०एस०,  
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन — वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/ ७४ / 2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम/द्वितीय गाजियाबाद।
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—बरेली।
- 3—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—मुरादाबाद।
- 4—कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 6—सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।